न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 105/2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/163
दायर दिनांक :– 19.07.2024 निर्णय दिनांक :– 23.06.2025

01. कमला देवी पत्नी रेवताराम जाति मेघवाल निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी

—वादी

बनाम

01. अकली पत्नी किसनाराम जाति मेघवाल निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
02. खमा पुत्री ईश्वरराम जाति मेघवाल निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
03. गणेशलाल डाबी पुत्र पोलूराम जाति मेघवाल निवासी 15/83 चौपासनी हा. बोर्ड जोधपुर
04. गवरी पुत्री ईश्वरराम जाति मेघवाल निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
05. छगनाराम पुत्र ईश्वरराम जाति मेघवाल निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
06. जेठी पुत्री ईशवरराम जाति मेघवाल निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
07. जालुराम पुत्र बीरूराम जाति मेघवाल निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
08. नारायणराम पुत्र गेउराम जाति मेघवाल निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
09. बीराराम पुत्र गुणेशाराम जाति मेघवाल निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
10. भाखरराम पुत्र बीरूराम जाति मेघवाल निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
11. मनोहरराम पुत्र किसनाराम जाति मेघवाल निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
12. मूमल पुत्री ईश्वरराम जाति मेघवाल निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
13. मांगुराम पुत्र आदुराम जाति मेघवाल निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
14. रमकु पत्नी फरसाराम जाति मेघवाल निवासी तनोट बस्ती तहसील बाप जिला फलोदी
15. रेशमा पत्नी ईश्वरराम जाति मेघवाल निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
16. वर्षा पत्नी भगवानाराम जाति मेघवाल निवासी दुर्जनी तहसील बाप जिला फलोदी
17. शाखा प्रबन्धक एक्सिस बैंक शाखा फलोदी तहसील व जिला फलोदी
18. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा फलोदी तहसील व जिला फलोदी
19. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बाप तहसील बाप जिला फलोदी
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :—1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप
3. श्री सिकन्दर खां मंगलिया अधिवक्ता

—:: निर्णय ::—

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम बारू पटवार हल्का बारू तहसील बाप जिला फलोदी में खसरा नम्बर 1017 रकबा 75.1581 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादगस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण

A 23/6/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

संख्या 1 ता 16 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मौका पर आपसी सहमति से हिस्से माफिक बंटवाड़ा कर लिया था।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण संख्या 3, 10, 14 की और अधिवक्ता श्री सिकन्दर खां मंगलिया ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 4 ता 9 व 11 ता 13 व 15 ता 19 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली में अधिवक्ता वादी की बहस सुनकर ग्राम बारू पटवार हल्का बारू तहसील बाप जिला फलोदी में खसरा नम्बर 1017 रकबा 75.1581 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तैयार कर तहसीलदार, बाप द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता वादी द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम बारू पटवार हल्का बारू तहसील बाप जिला फलोदी में खसरा नम्बर 1017 रकबा 75.1581 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 16 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :–

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा / हैक्टयर	किस्म
1	कमलादेवी पत्नी रेवताराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार रहन एक्सिस बैंक शाखा फलोदी	बारू	1017	14.5686 हैक्टेयर	बी–3
2	गणेशलाल डाबी पुत्र पोलूराम 1/2 हि. जाति मेघवाल सा. 15/83 चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर खातेदार रमकू पत्नी फरसाराम जाति मेघवाल सा. तनोट	बारू	1017	12.1406 हैक्टेयर	बी–3

बाप (फलोदी)

	बस्ती, सांगूरी खातेदार रहन एस. बी. आई. शाखा बाप रमकु का हिस्सा				
3	अकली पत्नी किशनाराम 21853 / 484489 हि, गवरी पुत्री ईश्वरराम 20504 / 484489 हि., छगनाराम पुत्र ईश्वरराम 20804 / 484489 हि., जेठी पुत्री ईश्वरराम 20504 / 484489 हि., मूमल पुत्री ईश्वरराम 20504 / 484489 हि., खमा पुत्री ईश्वरराम 20504 / 484489 हि. रेशमा पत्नी ईश्वरराम 20504 / 484489 हि., जालूराम पुत्र बीरूराम 21044 / 484489 हि., नारायणराम पुत्र गेऊराम 40168 / 484489 हि., बीराराम पुत्र गणेशाराम 100848 / 484489 हि., भाखरराम पुत्र बीरूराम 42087 / 484489 हि., मनोहरराम पुत्र किशनाराम 21853 / 484489 हि., मांगूराम पुत्र आदूराम 49706 / 484489 हि, जाति मेघवाल सा. देह, वर्षा पत्नी भगवानाराम 69606 / 484489 हि. जाति मेघवाल सा. दुर्जनी खातेदार रहन बी. ओ. बी. शाखा फलोदी खमा, गवरी, छगनाराम, जेठी, रेशमा का हि. रहन एस. बी. आई. शाखा बाप वर्षा, नारायणराम, भाखरराम का हिस्सा	बारू	1017	48.4489 हैक्टेयर	बी–3

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 16 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/6/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी

पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

01. कमला देवी पत्नी रेवताराम जाति मेघवाल निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी

—वादी

बनाम

01. अकली पत्नी किसनाराम जाति मेघवाल निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
02. खमा पुत्री ईश्वरराम जाति मेघवाल निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
03. गणेशलाल डाबी पुत्र पोलूराम जाति मेघवाल निवासी 15/83 चौपासनी हा. बोर्ड जोधपुर
04. गवरी पुत्री ईश्वरराम जाति मेघवाल निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
05. छगनाराम पुत्र ईश्वरराम जाति मेघवाल निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
06. जेठी पुत्री ईशवरराम जाति मेघवाल निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
07. जालुराम पुत्र बीरूराम जाति मेघवाल निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
08. नारायणराम पुत्र गेउराम जाति मेघवाल निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
09. बीराराम पुत्र गुणेशाराम जाति मेघवाल निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
10. भाखरराम पुत्र बीरूराम जाति मेघवाल निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
11. मनोहरराम पुत्र किसनाराम जाति मेघवाल निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
12. मूमल पुत्री ईश्वरराम जाति मेघवाल निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
13. मांगुराम पुत्र आदुराम जाति मेघवाल निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
14. रमकु पत्नी फरसाराम जाति मेघवाल निवासी तनोट बस्ती तहसील बाप जिला फलोदी
15. रेशमा पत्नी ईश्वरराम जाति मेघवाल निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
16. वर्षा पत्नी भगवानाराम जाति मेघवाल निवासी दुर्जनी तहसील बाप जिला फलोदी
17. शाखा प्रबन्धक एक्सिस बैंक शाखा फलोदी तहसील व जिला फलोदी
18. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा फलोदी तहसील व जिला फलोदी
19. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बाप तहसील बाप जिला फलोदी
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या 105/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर ओमप्रकाश गोदारा मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि राजस्व ग्राम बारू पटवार हल्का बारू तहसील बाप जिला फलोदी में खसरा नम्बर 1017 रकबा 75.1581 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 16 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :—

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टयर	किस्म
1	कमलादेवी पत्नी रेवताराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार रहन एक्सिस बैंक शाखा फलोदी	बारू	1017	14.5686 हैक्टेयर	बी—3
2	गणेशलाल डाबी पुत्र पोलूराम 1/2 हि. जाति मेघवाल सा. 15/83 चौपासनी	बारू	1017	12.1406 हैक्टेयर	बी—3

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

...सिंग बोर्ड, जोधपुर खातेदार रमकू ...नी फरसाराम जाति मेघवाल सा. तनोट ...बस्ती, सांगूरी खातेदार रहन एस. बी. आई. शाखा बाप रमकु का हिस्सा				
अकली पत्नी किशनाराम 21853 / 484489 हि, गवरी पुत्री ईश्वरराम 20504 / 484489 हि., छगनाराम पुत्र ईश्वरराम 20804 / 484489 हि., जेठी पुत्री ईश्वरराम 20504 / 484489 हि., मूमल पुत्री ईश्वरराम 20504 / 484489 हि., खमा पुत्री ईश्वरराम 20504 / 484489 हि. रेशमा पत्नी ईश्वरराम 20504 / 484489 हि., जालूराम पुत्र बीरूराम 21044 / 484489 हि., नारायणराम पुत्र गेऊराम 40168 / 484489 हि., बीराराम पुत्र गणेशाराम 100848 / 484489 हि., भाखरराम पुत्र बीरूराम 42087 / 484489 हि., मनोहरराम पुत्र किशनाराम 21853 / 484489 हि., मांगूराम पुत्र आदूराम 49706 / 484489 हि, जाति मेघवाल सा. देह, वर्षा पत्नी भगवानाराम 69606 / 484489 हि. जाति मेघवाल सा. दुर्जनी खातेदार रहन बी. ओ. बी. शाखा फलोदी खमा, गवरी, छगनाराम, जेठी, रेशमा का हि. रहन एस. बी. आई. शाखा बाप वर्षा, नारायणराम, भाखरराम का हिस्सा	बारू	1017	48.4489 हैक्टेयर	बी–3

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 16 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा।नीचे मुतालिक बाबत् खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23.06.2025 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

(सुखराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।